राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 27वां दिवस [संख्या 10

सोमवार,

दिनांक 29 मई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बजट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : on a point of order, sir, तारीख 25 को एक सदन के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा शोक प्रस्ताव रखा गया था और सदन के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा संकेत रखा गया था कि एक मिनिट. के लिए खड़े होकर मौन रह कर दिवगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करें। इस समय मैं आशा करता था कि स्वर्गीय राजधिराज अमरसिंहजी बनेड़ा जो इस माह मई में शांत हो चुके हैं उनके संबन्ध में शोक प्रस्ताव या तो सदन के नेता के द्वारा या आसन के द्वारा रखा जाने की व्यवस्था की जावेगी। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है स्वर्गीय श्री अमरसिंहजी इस सदन के सदस्य सन् 52 से 57 तक रह चुके हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर।

मुझे कुछ कहने का थोड़ा मौका दीजिये। जो विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है उस सम्बन्ध में सब की सहानुभूति है। यह ऐसा प्रस्ताव है जो रखा जाना चाहिए। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं मिली थी। आपके द्वारा अभी जानकारी मिली है और हमको भी यानि ओफिस को भी जानकारी आज मिल जावेगी। यह प्रश्न पोइन्ट ओफ ओर्डर का नहीं है यह पोइन्ट ओफ इन्फोरमेशन का है। मैं इस प्रस्ताव को कल ही रख दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का ही नहीं क्योंकि यह जुरिसडिक्शन ऑफ दी हाउस से ताल्लुक रखता है और प्रिविलेज का भी है। और मैं अध्यक्ष महोदय, 5 सेकिन्ड में ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विभाग द्वारा इस तरह की सूचना समय पर नहीं मिलती है तो सदन को अधिकार है कि जिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आपको यथोचित समय पर सूचना नहीं मिली है उनसे जवाब तलब किया जावे और सदन से लिखित रूप से माफी मांगी जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं सारी बातों पर विचार करूंगा।

श्री रामचन्द्र : I have given a privilege motion, sir.

श्री अध्यक्ष : You may see me in Chamber.

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसी परम्परा है कि जब बजट लिया जाता है उस समय कोई भी दूसरा बिजनेश नहीं लिया जाता है।

श्री रामचन्द्र : (बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर है।

कोई दूसरा बिजनेश नहीं लिया जाता है। यहां तक कि प्रश्न भी नहीं लिए जाते हैं। आपका प्रिविलेज मोशन जब मैं अभी आया तो मुझे मिला है। यह प्रश्न ऐसा है जिसको आप मुझ से चेम्बर में मिल कर पूछ सकते हैं। इसमें दस्तन्दाजी नहीं करें बजट पेश करने के पेश्तर कोई प्रश्न नहीं उठाया जावे।

माननीय वित्त मंत्री

(11.05 म. पू.)

आय व्ययक 1967–68 को प्रस्तुति एवं आय व्ययक भाषण

वित्त-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :

श्रीमन्

माननीय सदस्यों को याद होगा कि गत 13 मार्च, 1967 को संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार का 1967–68 का बजट भारत सरकार के उप-प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और लोक सभा से अप्रेल, 1967 से जुलाई, 1967 तक वोट आन अकाउन्ट (vote on account) प्राप्त किया गया था। साथ ही संविधान की धारा 206 के अनुसार इस संबंध में लोक सभा में विनियोग विधेयक भी पारित किया गया।

2. मैं अब प्रस्ताव करता हूं कि सदन, जैसा कि संविधान की धारा 203 के प्रावधान में चाहा गया, सालाना वित्तीय लेखे पर विचार करें।

3. राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के समय राज्य का जो बजट लोक-सभा में पेश किया गया था उसकी नये सिरे से पूरी छानबीन की गई है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप आय और व्यय दोनों में आवश्यक फेर बदल किये गये हैं। विभिन्न खर्च के तखमीनों और विभिन्न मदों की मांगों में किये गये फेर बदल बजट के एक अलग भाग में दिखाये गये हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि

4. अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन कुछ अहम मुद्दों की ओर दिलाना चाहूंगा जिनका मौजूदा आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और जिसकी झलक हमारे बजट में भी आपको देखने को मिलेगी।

5. चौथी पांच साला योजना का पहला वर्ष कई मायनों में और खास तौर पर उत्पादन के क्षेत्र में निराशाजनक साबित हुआ है। कृषि उत्पादन का सूचक अंक (Index) जो 1964–65 में 135.67 था, वह 1965–66 में गिरकर 104.30 रह गया। (यह आंकड़ा 1952–53 से लगाकर 1955-56 तक सूचक अंक (index) का आधार 100 मानकर निकाला गया है।) इसके अलावा कृषि उत्पादन के 1966–67 के आंकड़े अभी पूरी तौर पर तय नहीं हुये हैं, परन्तु जो

Page No. 3

(श्री मथुरादास माथुर)

जानकारी मौजूद है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में और भी गिरावट होने की संभावना है कृषि उत्पादन में यह गिरावट राज्य में 1965 से निरन्तर सूखे की स्थिति बनी रहने के कारण आयी है।

6. जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सवाल है, कृषि उपज पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आयी है परन्तु सीमेन्ट, बाल बियेरिंग, नायलोन, केमिकल उद्योगों में उत्पादन बढा है।

7. राजस्थान में खेती के उत्पादन में कमी का राज्य की आय पर असर पड़ा है। राज्य की आय में (1954-55 के स्थिर (Constant) मूल्यों के आधार के अनुसार) 1965-66 में 1964-65 के मुकाबले में 5.16 फी सदी गिरावट आयी है। आय में कुल गिरावट के असली प्रतिशत का पता तो तब चलेगा जब 1966-67 के आंकड़े मुकम्मिल तौर पर सामने आयेंगे। मेरे खयाल से आय में गिरावट का प्रतिशत इससे अधिक होने की संभावना है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ा है। स्थिर मूल्यों के आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो 1964-65 में 252 रुपये थी, वह 1965-66 में 239 रुपये रह गई है।

8. राज्य की आय और प्रति व्यक्ति आय में इस कमी को हमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के ढांचे की पृष्ठ भूमि में देखना पड़ेगा। हांलाकि मानसून पर बहुत कुछ निर्भर रहता है, फिर भी खेती और पशु पालन से राज्य को लगभग 43 से 50 प्रतिशत तक आय होती है। उद्योगों से राज्य को होने वाली आय लगातार बढ़ रही है, फिर भी कुल आय में उसका प्रतिशत केवल 1.08 है।

9. कृषि उत्पादन में कमी होने की वजह से कीमतों में वृद्धि होना लाजमी है। सन् 1952-53 के थोक मूल्यों का आधार यदि 100 माना जाय तो मासिक थोक मूल्यों का औसत जनवरी, 1966 में 172.3 से बढ़कर दिसम्बर, 1966 में 218.7 हो गया। इसी तरह थोक मूल्यों के सूचक अंक (Index) का आधार 1952-53 में 100 माना जाय तो यह आंकड़ा 1965 में 166 से बढ़कर 1966 में 191 तक पहुंच गया। और औसत उपभोक्ता वस्तुओं का सूचक अंक (Index) (यदि आधार 1960 में 100 माना जाय) जयपुर और अजमेर में जुलाई-दिसम्बर, 1965 में 136 से बढ़कर जुलाई-दिसम्बर, 1966 में 159 तक बढ़ गया।

10. अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य में निरन्तर सूखा पड़ते रहने के कारण हमारी वित्तीय स्थिति पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। यहां मै आपको यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि भारत सरकार ने इस संकट में हमारी बहुत मदद की है। खास तौर पर सूखाग्रस्त इलाकों में चालू किये गये अकाल राहत कार्यों पर खर्च करने के लिये हमें ऋण आदि की सुविधा दी है। परन्तु ऋण की किश्तों की अदायगी और ऋण के व्याज के चुकारे का भार तो राज्य की अर्थ व्यवस्था पर ही पड़ेगा।

11. इसके दूसरी तरफ राज्य में भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर देने और किसानों को दिये गये ऋण की किश्तों की वसूली न हो सकने के कारण राज्य की आय के साधनों में भी कमी हुई है। इतना ही

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं, सिंचाई और बिजली से राज्य को जितनी आय होती थी, उसमें भी इस बार कमी हुई है। गांधी सागर बांध में पानी की कमी के कारण राज्य को कम बिजली उपलब्ध हुई और इस कमी को पूरा करने के लिये राज्य के विद्युत मण्डल को अधिक खर्चीली व्यवस्था करके बिजली की सप्लाई को जारी रखना पड़ा। विद्युत बोर्ड की आय पर इसका असर पड़ा और राज्य को बिजली बोर्ड से जितनी आमद होती है, आशा के अनुकूल उतनी नहीं हो पायी।

12. साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए भावों के कारण राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने से जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा उसके प्रति राज्य सरकार जागरूक रही है और सरकार ने अपने उत्तर दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य कर्मचारी वर्ग का महंगाई भत्ता भारत सरकार के कर्मचारियों के उस वक्त के महंगाई भत्ते के बराबर करने का फैसला किया। यह बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दरें 1 जनवरी, 1967 से लागू की गयीं।

13. पिछले वर्षों के बजट के घाटे को देखने से राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति का आपको आभास मिलेगा। सन् 1965–66 के घाटे के कारण राज्य सरकार को भारत सरकार से 28 करोड़ 10 लाख का एडहाक ऋण लेना पड़ा। 1966–67 में भी हमें लगभग 16 करोड़ का घाटा रहा। इस घाटे का मुख्य कारण तो सूखे की स्थिति है, जिसके लिये हमारा 10 करोड़ 49 लाख रुपया खर्च हुआ और राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा। घाटे का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जिसमें हमें कुल 4 करोड़ 34 लाख खर्च करना पड़ा। 28 करोड़ 10 लाख के एडहाक ऋण और प्रस्तावित 16 करोड़ के ऋण में से पिछले वर्ष हमने 5 करोड़ 10 लाख का चुकारा कर दिया है और इस साल इस ऋण में से 9 करोड़ और चुका देंगे। इस एडहाक ऋण की किश्तें चुकाने और ब्याज अदा करने से राज्य को चौथी योजना के लिये साधनों पर भारी असर पड़ा है। इस प्रकार के कर्ज लेने की घटना केवल इस राज्य में हुई हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरे समृद्ध राज्यों के बजटों में भी भारी घाटा दिखाई दिया है। परन्तु उन्होंने ओवर ड्राफ्ट (Overdraft) न लेकर उनके पास जो सिक्योरिटीज थीं, उनको समाप्त करके बजट के घाटे को पूरा किया है।

14. सदन के माननीय सदस्यों को सार्वजनिक ऋणों के बारे में राज्य सरकार की स्थिति जानने में दिलचस्पी होगी। 31 मार्च, 1967 को राज्य सरकार की कुल देनदारियां (Liabilities) 430 करोड़ 96 लाख थी जिसमें 403 करोड़ 84 लाख के सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित हैं। इसमें से अधिकांश ऋण भारत सरकार से लिया गया है, जो लगभग 337 करोड़ 5 लाख है। इन देनदारियों के मुकाबले में राज्य सरकार की परिसंपति (Assets) कुल 419 करोड़ 13 लाख है। इसमें पुरानी रियासतों की अचल संपत्ति की कीमत सम्मिलित नहीं है, जो वास्तव में देखा जाय तो देनदारियों और लेनदारियों के बीच के 11 करोड़ 83 लाख के अन्तर से कहीं ज्यादा है।

15. सार्वजनिक ऋण की बढ़ोतरी को देख कर चिंतित होने की कोई आवश्यकता

(श्री मथुरादास माथुर)
नहीं है, क्योंकि किसी भी विकासशील अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार के ऋण लेना एक साधारण बात समझी जाती है।

16. मैं इस बात को यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को देश की स्थिति से अलग करके देखना सही नहीं होगा। समूचा देश आज बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आज देश के हालात देख कर कुछ लोग यह सवाल करने लगे हैं कि क्या हमने शुरू से योजनाबद्ध विकास की मूलभूत नीति अपना कर कहीं भूल तो नहीं की ? आप मुझे यह कहने की इजाजत दें कि आम तौर पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल और खासकर चौथी योजना का पहला साल कई मायनों में बड़ी ही असाधारण कठिनाई का काल रहा है और इसलिए योजनाबद्ध विकास के लिए किये गये हमारे सब प्रयत्नों को केवल मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर ही जांचना गलत होगा। पिछले पांच वर्षों में जो असाधारण घटनाएं घटी हैं, उन सबका जिक्र करके, मैं आपका कीमती वक्त नहीं लेना चाहता। यहां मैं केवल इस बात का ही जिक्र करूंगा कि सन् 1962-63 में हमें दो बार तो हमारी सीमाओं पर बड़े आक्रमणों का मुकाबला करना पड़ा और पिछले तीन वर्षों से हमें वर्षा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। मोटे तौर पर देखा जाय तो मौजूदा कठिनाइयां थोड़े अर्से के लिये हैं और मैं आशा करता हूं कि अगर इस वर्ष मानसून अच्छा रहा तो हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। मैं, अपने पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हमें निराश और उदासीन होने की कतई जरूरत नहीं है और आने वाले वर्षों में राज्य का जितना विकास होगा उससे शुरू से अब तक योजनाबद्ध विकास की हमने जो नीति अपनायी है, वह सही थी, यह बात साबित हो जायेगी।

17. मौजूदा कठिन परिस्थितियों में भी हमें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अगर हम जन-जीवन को भरा-पूरा और बेहतर बनाने के अपने मूलभूत उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी तो जरूर करनी पड़ेगी। और मैं यह मानता हूं कि अंग्रेज राज से औपनिवेशिक गुलामी और बेहद गरीबी में जीवन बिताने वाली जनता की खुशहाली और उसके रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिये हमें आवश्यक त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

18. आज असाधारण स्थिति के कारण जो कठिनाइयां हमारे सामने आयी हैं, उनको देखकर कुछ लोग योजनाबद्ध विकास के हमारे प्रयत्नों के दौरान मिली सफलताओं और लाभ को भी नजर अंदाज किये दे रहे हैं। जहां तक हमारे राज्य का सवाल है, विकास के काम का रेकार्ड उत्साहवर्द्धक रहा है और हम अपनी सफलताओं पर गर्व अनुभव कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि अभी हमें राज्य के विकास का बहुत काम करना बाकी है। यहां मैं राज्य के पिछले 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई तरक्की का संक्षेप में विवरण देना चाहूंगा, जिससे मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो सकेगी। राज्य में 1950-51 में खाद्यान्नों की पैदावार 29 लाख टन होती थी, वह 1965-66 में बढ़कर 44.69 लाख टन हो गयी। (1962-63 से 1965-66 तक चार वर्षीय औसत के आधार पर) इसी अवधि में कुल

(श्री मथुरादास माथुर)

सिंचित क्षेत्र 28.93 लाख एकड़ से बढ़कर 51.41 लाख एकड़ हो गया। बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 1950-51 में 7.5 मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 115.5 मेगावाट तक पहुंच गयी है। पहले 32 इलाकों में बिजली उपलब्ध थी अब 1700 इलाकों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ती तक 12 हजार कुओं पर बिजली लगाई जा चुकी थी। सामाजिक न्याय से जुड़े राजनीतिक लोकतन्त्र के लिये मानव का विकास जितना आवश्यक है, उतना ही आर्थिक तरक्की के लिये मानव साधनों का विकास जरूरी है। इसलिये जनसाधारण को शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी आर्थिक सुविधाएं मुहैया करने पर ज्यादा जोर दिया गया। आज हमारे राज्य में 18,990 प्राइमरी स्कूल, 1,834 मिडिल स्कूल, 872 हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल और 72 कालेज हैं। शिक्षा के इस प्रसार के फलस्वरूप आज हमारे राज्य में स्कूल जाने वाले विभिन्न आयु ग्रुप के छात्रों का प्रतिशत इस प्रकार है:—

आयु ग्रुप	1950-51 में प्रतिशत	1966-67 में प्रतिशत
6 वर्ष से 11 वर्ष	14.8	52.3
11 वर्ष से 14 वर्ष	5.0	21.0
14 वर्ष से 17 वर्ष	1.7	10.1

इन पिछले 15 वर्षों में राज्य में इन्जीनियरिंग कालेजों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गयी है और उनमें जहां पहले केवल 60 छात्र ही शिक्षा पा सकते थे, अब 670 छात्रों को इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। लोगों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए एक तरफ बीमारी से बचाव के तरीके अपनाये गये, वहां दूसरी तरफ अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों की संख्या में भी वृद्धि की गयी। आज राज्य में अस्पतालों में कुल रोगी शैय्याओं की संख्या 11,775 है, जो 1950–51 में 4,996 थी। राज्य में डाक्टरों की मांग को पूरा करने की दृष्टि से, राज्य में जहां पहले एक मेडिकल कॉलेज था, वहां अब 5 मेडिकल कालेज हैं। और पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए अब तक 79 शहरी जल प्रदाय योजनाओं का और 146 देहाती नल जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य पूरा किया जा चुका है।

संशोधित अनुमान 1966-67

19. इस तरह राज्य की आर्थिक हालत की जो तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है और हमारे सामने जो उद्देश्य हैं, उनका जिक्र करने के बाद अब मैं संक्षेप में मैं सन् 1966–67 की वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा।

20. सन् 1966–67 के बजट में राजस्व से होने वाली प्राप्तियों का अनुमान 98 करोड़ 38 लाख रखा गया था और संशोधित अनुमान में यह रकम 96 करोड़ 73 लाख रखी गयी है। यह कमी मुख्य रूप से सूखे की स्थिति से भू-राजस्व और जमीन की बिक्री के मदों में कम प्राप्तियों के कारण हुई है। राजस्व खाते में व्यय का जो अनुमान 97 करोड़ 49 लाख आंका गया था उसमें वह बढ़कर 115 करोड़ 77 लाख रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कई मदों में अधिक व्यय होने के कारण हुई। राजस्व खाते से अकाल सहायता पर होने वाला व्यय जहां बजट में 3 करोड़ 80 लाख रखा गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार इस मद पर 11 करोड़ रुपये का

(श्री मथुरादास माथुर)

व्यय होगा। मंहगाई भत्ते से बढ़ोतरी, पंचायत समितियों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदानों के कारण व्यय में 4 करोड़ 34 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई। व्यय में बाकी की बढ़ोतरी मुख्यतः ब्याज के चुकारे, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय—खासकर सड़कों, पानी की सप्लाई की स्कीमों और शिक्षा के मदों में हुई।

21. बजट में पूंजीगत खर्च का मूल तखमीना 17 करोड़ 43 लाख था जो संशोधित अनुमानों के अनुसार 28 करोड़ 58 लाख हो गया। इसमें से 6 करोड़ 26 लाख रुपये, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर प्रस्तावित राजस्थान केनाल आथोरिटी के बजाय राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जाने के कारण, व्यय में बढ़ोतरी हुई। इतनी ही रकम ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होने से इसकी पूर्ति कर ली गयी। व्यय में अन्य बढोतरी छोटे सिंचाई कार्यों, बाढ़ नियन्त्रण कार्यो, ट्यूब वेलों की खुदाई, सड़कें और सहकारी समितियों में रुपया लगाने के कारण हुई। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधार और पेशगी के खाते में 4 करोड़ 81 लाख की बढ़ोतरी हुई। इस बोढ़तरी के कारणों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लिए बिजली उत्पादन के कार्यों के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान और छोटे सिंचाई कार्यों और अकाल सहायता कार्यों के लिये दी गई पेशगी मुख्य है। इस सबका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष के दौहरान योजना की स्कीमों और अकाल सहायता कार्यों के लिये केन्द्र से जो अतिरिक्त सहायता मिली उस सबका हिसाब मिलाकर भी राज्य सरकार को 1966-67 में कुल मिलाकर लगभग 16 करोड़ का घाटा रहा, जिसका ज़िक्र पहले किया जा चुका है।

सालानां योजना 1966-67:-

22. राज्य के 1966-67 के बजट में योजना पर खर्च के लिये 36 करोड़ 66 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसको कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 28 करोड़ की सहायता मिलनी थी। इसके बाद, चूंकि पहले राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को एक अलग आथोरिटी के मातहत रखने का इरादा था और बाद में इसे राज्य की योजना के अन्तर्गत ले लिया गया, इस प्रोजेक्ट पर योजना में रखे गये प्रावधान और केन्द्रीय सहायता में उसी अनुपात में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की 2 करोड़ 80 लाख रुपये की सहायता से राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण छोटे सिंचाई की अतिरिक्त स्कीमों, देहातों में बिजली और पानी की व्यवस्था के ज्यादा काम हाथ में लिये गये। इन कार्यों और अन्य परिवर्तनों के फलस्वरूप राज्य में 1966-67 की योजना पर व्यय 48 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गया और केन्द्रीय सहायता 38 करोड़ 63 लाख तक।

23. 1966-67 के संशोधित तखमीने के अनुसार ख्याल था कि इस वर्ष रिजर्व बैंक से लगभग 16 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा और इस ओवरड्राफ्ट की अदायगी के लिये केन्द्रीय सरकार से एडहाक 16 करोड़ रुपये का ऋण देने की मांग की गयी थी। परन्तु 31 मार्च, 1967 तक ओवरड्राफ्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

की रकम लगभग 5 करोड़ 76 लाख थी और केन्द्रीय सरकार ने इस ओवरड्राफ्ट की अदायगी के लिये 5 करोड़ 85 लाख का एडहाक कर्जा हमें दे दिया। परन्तु इसके बाद रिजर्व बैंक में राज्य सरकार के खाते में नामे बाकी (Debits) की रकम बढ़ने लगी। इसका कारण यह था कि मार्च 1967 में हुए खर्च के लेन देन का इन्द्राज खाते में मार्च के बाद भी होता रहा। इसके अलावा मार्च, 1967 तक हमें जो रकम प्राप्त होने की उम्मीद थी, वह 31 मार्च, 1967 तक नहीं हुई। इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार से शुरू में 16 करोड़ के ऋण की जो मांग की गयी थी, उसमें बाकी बची धनराशि के बराबर ऋण की फिर मांग की गई है। साथ ही केन्द्रीय सरकार से कहा गया कि 31 मार्च तक राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में जितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा थी और जो समय पर प्राप्त नहीं हुई, वह रकम राज्य सरकार को दी जाय।

बजट तखमीना 1967-68:–

24. 1967-68 में राजस्व से होने वाली वसूलियों का तखमीना 111 करोड़ 65 लाख रखा गया है। और राजस्व खाते में होने वाले खर्च का तखमीना 127 करोड़ 40 लाख है। इस प्रकार राजस्व खाते में 15 करोड़ 75 लाख का घाटा रहेगा।

25. खर्च में कमी करने की आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए विभिन्न मदों में लगभग 97 लाख रुपये की किफायत करने का प्रस्ताव है।

26. पूंजी खाते में कुल शुद्ध व्यय का तखमीना 17 करोड़ 73 लाख रखा गया है।

27. भारत सरकार से ली गयी उधार की अदायगी के लिये बजट में 30 करोड़ 28 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह 1966-67 में घाटे की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले एडहाक 16 करोड़ के उधार की किश्त चुकाने के लिये इस बजट में 4 करोड़ रखा गया है। योजना की स्कीमों पर व्यय के लिये ऋण के रूप में सीलिंग के अन्दर केन्द्रीय सहायता 28 करोड़ की होगी। राज्य सरकार को पब्लिक से इस साल 5 करोड़ का ऋण लेने की तजवीज है। अनुमान है कि अल्प बचत की कुल जमा में से राज्य सरकार के हिस्से में 2 करोड़ 25 लाख जमा होंगे जो पिछले दो वर्षों के जमा के आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। इन सब रकमों और रिजर्व बैंक व लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से लेन-देन का हिसाब जोड़ने के बाद सार्वजनिक ऋण खाते में कुल 26 करोड़ 77 लाख का इजाफा होगा।

28. राज्य सरकार की तरफ से रुपया उधार और पेशगी देने के लिये बजट में 27 करोड़ 5 लाख का प्रावधान है। वसूली को ध्यान में रखते हुए उधार की कुल रकम 12 करोड़ 55 लाख रुपये होगी।

29. प्राविडेन्ट फण्ड, इन्श्योरेन्स फण्ड सिंकिंग फण्ड आदि जमा खातों में जो कुल वसूलियां शामिल होंगी, उनसे सार्वजनिक लेखा में नेट (Net) क्रेडिट में 16 करोड़ 26 लाख की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

30. ऋण खाते में कुल 26 करोड़ 77 लाख और सार्वजनिक लेखे में 16 करोड़ 26

(श्री मथुरादास माथुर)

लाख जमा होगा। पूंजी खाते में 17 करोड़ 73 लाख का खर्चा होगा। सरकार के उधार व अग्रिम खाते का कुल आंकड़ा 12 करोड़ 55 लाख का होगा। इस प्रकार पूंजी खाते में 12 करोड़ 75 लाख की बचत (Surplus) होगी।

31. टैक्सों के मौजूदा ढांचे के आधार पर प्रकाशित बजट में राजस्व खाते में 15 करोड़ 75 लाख का घाटा और पूंजी खाते में 12 करोड़ 75 लाख की बचत की संभावना बतायी गयी है। इस प्रकार बजट में कुल 3 करोड़ का घाटा रहता है।

32. समीक्षा राज्य की वित्तीय स्थिति का ध्यान से अध्ययन करने, और बजट के तखमीनों पर दुबारा गौर करने के बाद कुछ मदों में खास फेर बदल करने की तजवीज हैं।

33. राजस्व खाते की वसूलियों में अब इस प्रकार फेर-बदल होने की सम्भावनाएं हैं:—

मद संख्या —भू-राजस्व:—अगली खरीफ से कुछ छोटी जोतों पर लगान माफ किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप इस मद में 75 लाख की कमी होगी।

मद संख्या xvi—ब्याज:—अब यह महसूस किया जा रहा है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास ब्याज अदा करने के लिये इतनी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी नहीं रहेगी। इससे इस मद में 1 करोड़ की कमी कूंती गयी है।

सार्वजनिक लेखा खाते में "डिपोजिट आफ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड" के मद में 1 करोड़ 75 लाख की कमी होने की सम्भावना है। यह इसलिए कि राज्य विद्युत मण्डल Depreciation Reserve Fuud में जैसा कि बजट में बताया गया था अब 2 करोड़ 75 लाख के बजाय केवल 1 करोड़ ही जमा करा पायेगा। बोर्ड के पास कार्यशील मुनाफा इस बार इसलिए कम रहेगा क्योंकि एक तरफ बोर्ड को चम्बल से कम बिजली मिलने की वजह से उसकी आमद में कमी हुई और दूसरी तरफ बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिये थरमल प्लान्ट और गैस टरबाइनों द्वारा बिजली पैदा करनी पड़ी जिस पर काफी खर्चा होगा।

34. इस प्रकार प्रकाशित बजट में जो 3 करोड़ का घाटा बताया गया है, वह अब बढ़कर 6 करोड़ 50 लाख होगा।

35. विभिन्न प्रकार के प्रयास करके और विशेष तरीके अपना कर आय में वृद्धि व व्यय में कमी किये जाने के इस भांति मन्सूबे हैं:—

राजस्व के शीर्षक	विवरण	लाख
X—राजकीय आबकारी कर	आबकारी विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था में हेर फेर करने से	50.00
XII—बिक्री कर	प्रशासनिक प्रयासों द्वारा वसूली में उन्नति से	20.00
XIII—अन्य कर	विद्युत कर की उन्नत वसूली	20.00
XXIX—उद्योग	सोडियम सल्फेट का उत्पादन बढ़ाकर अधिक बिक्री	10.00

(श्री मथुरादास माथुर)

XXXII. विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

खनिज आय में वृद्धि 10.00

LI. वन-वन सहकारी समितियों को $12\frac{1}{2}$ प्र.श. रियायत देकर खुली बोली के आधार पर वनों के ठेके दिये जाने व विभागीय अधिकारियों को खुली बोलियों के आधार पर ठेके देने के और अधिक अधिकार दिये जाने से 10.00

आय में वृद्धि का योग 1 करोड़ 20 लाख

36. जैसा कि अभी बताया जा चुका है बजट में 97 लाख की economy तो पहिले ही शामिल है। अब गैर योजना व्यय की पूरी छान बीन करके economy के कई और कदम उठाने के निर्णय लिये गये हैं। अब 97 लाख के अतिरिक्त, 1 करोड़ 35 लाख रुपये की व्यय में और कमी हो जावेगी। उक्त निर्णयों में से मुख्य मुख्य निर्णयों के बारे में मैं आगे चल कर जिक्र करूंगा। 135.00

37. राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं को बिजली व जल जो निःशुल्क दिया जाता रहा है उसे अब बन्द करने का फैसला किया है। इससे खर्च में करीब 3 लाख की कमी होगी 3.00

38. डीडवाना नमक का उत्पादन बढ़ा कर अधिक बिक्री किये जाने से शीर्षक "124-सरकारी व्यापार पर पूंजी की लागत" में आय में 5 लाख की वृद्धि होगी 5.00

39. अल्प बचत अभियानों को और गतिशील बनाकर "ढा-राज्य ऋण" के अन्तर्गत बजट में जो 2 करोड़ 25 लाख की प्राप्ति दिखाई गई है वो बढ़ाकर 2 करोड़ 75 लाख करने का इरादा है। 50.00

40. आय में वृद्धि व गैर योजना व्यय में कमी करने हेतु अपनाये जाने वाले इन तरीकों के अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के अन्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

(i) लोक सभा में बजट पेश करते समय यह मानकर चला गया था कि केन्द्रीय बिक्री कानून में किये गये परिवर्तनों के संदर्भ (Context) में राजस्थान में भी 1967-68 में कदम उठाये जावेंगे और इससे बिक्री कर से होने वाली आय में 1 करोड़ की वृद्धि होगी। इसका उल्लेख बजट मेमोरेण्डम (Budget Memorandum) में भी कर दिया गया था। इसको लागू करने के लिये जिस जिस माल पर आज 3 प्रतिशत से कम बिक्री कर है उनमें कुछ को छोड़कर बिक्रीकर 3 प्रतिशत कर दिया जावेगा। कच्चे लोहे, सोना, चांदी, ट्रैक्टर व उनके पुर्जे सूती धागा व सूती धागे की रद्दी, सीरियल्स व पल्सेज (Cereal and pulses) ब्रैड (Bread.) व पापड़ की बिक्री कर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जावेगी। चांदी के जेवरों पर बिक्री कर की दर 1 प्रतिशत बढ़ाकर 2 प्रतिशत की जावेगी।

कर वसूली के तरीकों को सरल बनाया जावेगा जैसे एक मुश्त कर निर्धारण और उस सम्बन्ध में जहां उचित समझा जावे अनेक बिन्दु पर करारोपण करों से बचने व चोरी करने की रोक थाम के दीगर उपाय किये जावेंगे और बकाया वसूली और कर निर्धारण व अपीलों के मामले

Page No. 11

(श्री मथुरादास माथुर)

शीघ्रता से निपटाने पर विशेष जोर दिया जावेगा।

इन सब प्रयत्नों से 1966-67 के संशोधित अनुमानों की तुलना में साधारण वृद्धि के अतिरिक्त 1 करोड़ 60 लाख की अधिक प्राप्ति होगी जिसमें से 1 करोड़ का अनुमान तो बजट में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है और अब शीर्षक "XII-बिक्री कर" में 60 लाख की प्राप्ति और होगी। 60.00

(ii) 1966-67 का बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मन्त्री ने Cereals के अतिरिक्त अन्य फसलों की सिंचाई दरों में 5 रु० प्रति एकड़ की वृद्धि किये जाने की घोषणा की थी। बढ़ी हुई दरें गत वर्ष प्रकाशित नहीं की गईं। उनको लागू किये जाने की उम्मीद में 1967-68 के बजट में केवल 10 लाख रु० की प्राप्तियों का अनुमान ही रखा गया था। इन दरों की घोषणा इस महिने की जा चुकी है और आशा है सिंचाई से प्राप्तियों में 20 लाख की वृद्धि होगी अर्थात् बजट में रखी राशि की तुलना में विभिन्न मदों में 10 लाख की अधिक आय होगी:—

XXXIII—बहु प्रयोजन नदी योजनायें 3 लाख XXXIV—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 6 लाख XXXV— ,, ,, (अवाणिज्यक) 1 लाख	10.00

(iii) माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में प्रायः सभी शहरी जल योजनायें राज्य द्वारा चलाई जा रही हैं। इन्हें बिना किसी हानि व लाभ के चलाये जाने का ध्येय है। इनके हिसाब व्यापारिक पद्धति पर रखे जाते हैं। जल वितरण का व्यय बढ़ गया है। वेतन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि हुई है। मशीनों व नलों की कीमतों में वृद्धि होने से Depreciation Charges व ब्याज अधिक लगने लगे हैं। नागरिक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य) के प्रति वर्ष सार्वजनिक नलों से जल प्रदाय (Water Supply) के बिल नगरपालिकाओं के नाम बनाता है। नतीजा यह होता है कि वाणिज्यिक पद्धति पर बनाये गये हिसाब में तो कोई हानि नजर नहीं आती है किन्तु नगरपालिकाओं के नामे 3 करोड़ 50 लाख की बकाया इकट्ठी हो गई हैं। इसमें सन्देह की कोई गुंजाईश नहीं है कि पीने का पानी नागरिक के लिये सर्वोपरि आवश्यक है किन्तु इसकी वितरण व्यवस्था पर व्यय होता है और उसे उपभोक्ताओं से ही वसूल करना पड़ता है जो भी कोई व्यक्ति अपने घरों में नल लगावे या स्नानघरों में फंवारे भी लगावे उन्हें पानी की उचित कीमत देना चाहिए। अतः निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य) द्वारा वसूल की जाने वाली दरों का रेशनलाईजेशन (Rationalisation) किये जाने का प्रस्ताव है। यह भी इरादा है कि नगरपालिकाओं के साथ बल्क कन्ज्यूमर (Bulk Consumers) का व्यवहार किया जावे और सार्वजनिक नलों से प्रदाय जल की साधारण उपभोक्ता से ली जाने वाली दरों की तुलना में 1 अप्रेल, 1966 से आधी दर ली जावे।

(श्री मथुरादास माथुर)

नई दरों का विवरण तैयार किया जा रहा है और नगरपालिकाओं के नाम दुबारा बिल बनाये जावेंगे। किन्तु आशा है कि इससे शीर्षक "XXIV-जन स्वास्थ्य" के अन्तर्गत प्राप्तियों में 25 लाख की वृद्धि होगी। 3 करोड़ 50 लाख की बड़ी बकाया चुकाना नगरपालिकाओं के बूते की बात नहीं है इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके नाम तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक निकल रही बकाया का जमा खर्च (Write off) करने का निर्णय लिया है। 25.00

(iv) इस समय कृषि भूमि को आवास गृह व व्यापारिक कार्य के लिये आबादी भूमि में परिवर्तन किये जाने पर रोक लगी हुई है। आवास गृहों की अत्याधिक कमी के कारण बहुत से गैर कानूनी परिवर्तन भी हो चुके हैं। कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किये जाने और अनाधिकृत परिवर्तनों को प्राधिकृत किये जाने के लिये नियम बनाने का प्रस्ताव है। यह आबादियां नगरीय योजना विभाग व नगर विकास मण्डलों की योजनाओं के अनुरूप होंगी। आशा है इससे आवास गृहों के लिये भूमि उपलब्धी में पर्याप्त वृद्धि होगी और व्यक्तिगत पूंजी भूमि विकास पर लगेगी ही नगर निर्माण योजना के नियमों का भी पालन हो सकेगा। इस शुल्क से राज्य सरकार को शीर्षक "XIII अन्य कर व महसूल" के अन्तर्गत 50 लाख की प्राप्ति होगी। 50.00

योग 145.00

41. ऐसा अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नये कर लगाने व वसूली में सुधार किये जाने से राज्य सरकार को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में विशेष प्राप्ति होगी। इससे शीर्षक "LV संघीय आबकारी कर में राज्य सरकार का भाग" के अन्तर्गत 1 करोड़ की वृद्धि होगी। 100.00

42. Economy के प्रयत्नों, अल्प बचत योजनाओं द्वारा अधिक संग्रहण, अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने और केन्द्रीय करों में अधिक हिस्सा प्राप्ति से कुल मिला कर 5 करोड़ 58 लाख की वृद्धि होगी। पुनर्निरीक्षण के फलस्वरूप 6 करोड़ 50 लाख का अन्तर आंका गया था। इस प्रकार 92 लाख का फिर भी घाटा रह जावेगा।

सालाना योजना 1967-68

43. मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि राज्य की सन् 1967-68 की सालाना योजना का सीलिंग अस्थायी तौर पर 33 करोड़ रखा गया था, जो योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को मिलने वाली सहायता के बराबर था और इसी आधार पर राज्य की सालाना योजना तैयार की गयी थी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की सालाना योजना पर 49 करोड़ 91 लाख रुपया व्यय किया गया था। आप समझ सकते हैं कि पिछले वर्ष किये गये खर्च के मुकाबले में इस वर्ष की सालाना योजना में केवल 33 करोड़ का प्रावधान होने के कारण जहां राज्य के सन्तुलित विकास के लिये नयी योजनाओं पर अमल करना बहुत जरूरी है, वहां इस प्रावधान से चालू योजनाओं पर भी जरूरत के मुताबिक काम जारी रखना नामुमकीन सा था। असल में बजट के साथ लोक सभा में राज्य की जो सालाना योजना पेश की गयी थी उसे सही मानी में मुकम्मिल

(श्री मथुरादास माथुर)

योजना मानना उचित नहीं होगा क्योंकि उस योजना में केवल चालू योजनाओं पर काम जारी रखने के लिये आवश्यक वित्तीय प्रावधान का विवरण ही दिया गया था। उस योजना में देश एवं राज्य की योजनाओं में निर्धारित उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की झलक नहीं थी। यह बात आसानी से मानी जा सकती है कि योजना और विकास एक ऐसी लगातार चालू रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें यदि किसी एक वर्ष में योजना के प्रावधान में भारी कटौती कर दी जाय तो इससे पिछली तीन योजनाओं के दौरान किये गये योजनाबद्ध विकास के कार्य को काफी धक्का लगता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी समझा गया कि विकास की गति को अबाध रूप से चलाने के लिये अधिक साधन जुटाकर एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जाय जो जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। दूसरी तरफ हमारी अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक माना गया कि घाटे की वित्त व्यवस्था को न अपना कर उपलब्ध साधनों के मुताबिक ही खर्च किया जाय। इन दोनों परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात की कोशिश की है कि आपके सामने विचार करने के लिए एक ऐसी योजना पेश करूं जिससे हमारी कम से कम ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी हो सकें।

44. मुझे इस काम में केन्द्रीय सरकार की सहायता से मदद मिली है। सालाना योजना में केन्द्रीय सहायता अब 33 करोड़ से बढ़ कर 39 करोड़ कर दी गई है। इस प्रकार हमें विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। योजना के साधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यह तय किया गया है कि बिजली और शहरी जल प्रदाय कार्यक्रमों के लिए लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से 4 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाय। इसके अलावा खर्च में काफी मितव्ययता बरतने और साधन जुटाने के प्रयत्नों से राज्य सरकार योजना के लिए 1 करोड़ 50 लाख की और व्यवस्था कर सकेगी। ऊपर बताये गये कारणों से योजना का सीलिंग 33 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ 50 लाख रुपया हो जायेगा। आप यह महसूस करेंगे कि शुरू में योजना के लिए जो 33 करोड़ का अस्थायी प्रावधान था, उसमें अब काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य की योजना में व्यय होने वाली धनराशि के अलावा लगभग 15 करोड़ 88 लाख रुपया केन्द्र प्रवर्तित योजना पर खर्च होगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि छोटी सिंचाई, देहातों में बिजली लगाने और पीने के पानी की व्यवस्था करने संबंधी प्राथमिकता के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता हासिल करने की बराबर कोशिश करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी सालाना योजना का आकार आखिर में 44 करोड़ 50 लाख से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा।

45. इस बात का जिक्र पहले किया जा चुका है कि गैर-योजना के खर्च में मितव्ययता करने के अतिरिक्त योजना के प्रावधानों में भी कुछ किफायतसारी बरती गई है। खासतौर से यह किफायत प्रशासन पर होने वाले खर्चे में कमी करके की गई है। परन्तु इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इससे योजना कार्यक्रमों पर अमल करते वक्त कार्य-कुशलता में कमी न हो। इकोनोमी (Economy) के फलस्वरूप विभिन्न

(श्री मथुरादास माथुर)

विकास मदों में 1 करोड़ 10 लाख की कटौती की गई है और यह धनराशि प्राथमिकता वाली स्कीमों की जरूरतें पूरी करने के लिए बांटी गई है।

46. राज्य की मौजूदा अर्थ व्यवस्था को देखते हुए यह जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन मुहैया किये जायें। इस दृष्टि से खेती, सिंचाई और बिजली को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य की योजना के लिये उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त कुल 11 करोड़ 50 लाख में से 7 करोड़ 77 लाख इन तीनों क्षेत्रों में खर्च के लिए रखे गये हैं। कृषि कार्यक्रमों के लिए 78 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जिसे खास तौर से छोटी सिंचाई योजनाओं, भायकर विकास और दूसरी जरूरी स्कीमों पर खर्च किया जायेगा। बिजली और सिंचाई की मदों में 6 करोड़ 99 लाख रुपया का अधिक प्रावधान करने का प्रस्ताव है। यह रकम व्यास, सतपुड़ा और माही जैसी बड़ी योजनाओं पर काम को चालू रखने के लिए कम से कम आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। राजस्थान विद्युत् मण्डल के लिए लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से जो 2 करोड़ का ऋण लिया जायेगा उससे बोर्ड को बिजली की वितरण व्यवस्था को सुधारने और देहातों में बिजली पहुंचाने के काम में मदद मिलेगी।

47. करों के अलावा आय के दूसरे साधन बढ़ाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए और सरकार की सामाजिक नीति की दृष्टि से भी राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को निरन्तर बढ़ाती जा रही है। बीकानेर में वूलन टेक्सटाइल मिल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा टोंक में चमड़े की टेनरी का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष इसके निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इससे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले चमड़े और खाल का उचित उपयोग हो सकेगा। राज्य सरकार डूंगरपुर जिले की माण्डों की पाल में फ्लोराइट बेनीफिसियेशन प्लान्ट लगायेगी। डेगाना में टंगस्टन के खनन के लिये एक यंत्रीकृत प्लान्ट लगाने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू हो जाने पर राजकीय उद्योगों के विकास की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण कदम आगे रखेंगे और इससे राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग भी हो सकेगा।

48. राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पेय जल की है। राज्य सरकार इस समस्या के प्रति हमेशा जागरूक रही है। हमने अपने सीमित साधनों के होते हुए इस समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न किये हैं। राज्य सरकार का विचार लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से 2 करोड़ का ऋण लेने का है जिससे सभी शहरी इलाकों में जहां अभी पानी की कठिनाई महसूस हो रही है वहां समुचित पेय जल की व्यवस्था करने के कार्यक्रमों को हाथ में लिया जा सके। साथ ही उदयपुर वाटर वर्क्स सप्लाई स्कीम के लिए अधिक पेय जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से देवास में एक बांध बनाने की स्कीम पर कार्य शुरू होगा देहातों में पानी के नल लगाने की स्कीम में प्रावधान 30 लाख से बढ़ाकर 80 लाख कर दिया गया है जिससे कि इस प्रकार की चालू स्कीमों पर काम बिना रुकावट के

(श्री मथुरादास माथुर)

जारी रखा जा सके। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में इस वर्ष विस्तार के बजाय कन्सोलिडेशन पर जोर दिया जायेगा। साधारण शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के लिए अधिक अध्यापक रखने और निजी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए बजट में 36 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार चिकित्सा के मद में, अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में ज्यादा मात्रा में दवाइयां सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 25 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी इरादा है।

49. पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए जिन कार्यक्रमों को हाथ में लेने का सरकार का इरादा है उनका मैं यहां विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। राज्य सरकार परिगणित जाति और परिगणित जन-जातियों के लोगों को ऊपर उठाने में अपने उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा जागरूक रही है। सरकार का ऐसे कार्यक्रमों को गतिशील बनाने का इरादा है जिनसे पिछड़े तबके के लोगों को शीघ्र और अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि जिन बस्तियों में बिजली और पानी की सुविधाएं मुहैया की जा चुकी हैं, वहां भी कहीं-कहीं जहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उन इलाकों में यह सुविधायें नहीं पहुँचाई गई हैं। ऐसी सूरत में राज्य सरकार ने अब यह स्पष्ट आदेश दे दिये हैं कि जिन गांवों में बिजली और पानी की लाइन डालने का काम शुरू किया जाय वहां स्कीम में पिछड़ी जाति के लोगों की बस्तियों में बिजली लगाने और पानी के नल लगाने के काम को स्कीम के अन्दर जरूरी तौर पर शामिल किया जाय। जिन कस्बों और गांवों में अभी बिजली मौजूदा है उन इलाकों में परिगणित जाति और परिगणित जन-जाति के लोगों की बस्तियों में बिजली पहुँचाने के लिए बिजली बोर्ड के बजट में 5 लाख का प्रावधान किया गया है। यह रकम समाज कल्याण विभाग द्वारा इस काम के लिए निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार खर्च की जायेगी। इसी तरह इन बस्तियों में पानी की व्यवस्था के लिए पाइप लाइन डालने पर खर्च के लिए 2 लाख का प्रावधान किया गया है।

50. कुछ अर्से से यह भी अनुभव किया जा रहा है कि राज्य अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले होस्टलों में इन जातियों के छात्रों के निवास की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। सरकारी होस्टलों में आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने, छात्रों में वस्त्रों के भत्ते में इजाफा करने और भवनों में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में सहायता पाने वाले होस्टलों में विस्तार और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिये 2 लाख रुपये की रकम खास तौर पर निर्धारित की गयी है। सरकारी होस्टलों में इन जातियों के छात्रों को साइन्स और गणित में कोचिंग करने की एक नयी स्कीम लागू की जा रही है जिससे कि इन जातियों के लिये छात्र आगे जाकर टैक्निकल, विज्ञान और व्यावसायिक कोर्स अधिक संख्या में ले सकें। इन सब के अलावा परिगणित जाति और जन-जातियों के सभी छात्रों को कालेजों और यूनिवर्सिटी के आम होस्टलों में रह सकने के लिये भारत सरकार से जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसके अतिरिक्त 40 रुपया प्रति माह

Page No. 16

(श्री मथुरादास माथुर)

और देने का प्रस्ताव है। हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी में पढ़ने वाले छात्रों को 10 रुपये माहवार के स्थान पर 20 रुपया माहवार छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है।

51. शिड्यूल्स (Schedules) इलाकों में तकनीकी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से वहां एक नया रूरल ट्रेनिंग सेण्टर खोलने का फैसला किया गया है। शहरी इलाकों में भी पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये जमीन देने की समस्या के प्रति भी सरकार जागरूक है। इन क्षेत्रों में सरकार ने पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये अधिक संख्या में प्लाट देने का फैसला किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पिछड़ी जातियों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये दृढ़ संकल्प है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का मैं स्वागत करूंगा।

मितव्ययता (Economy Measures) 1967-68

52. अब मैं माननीय सदस्यों को सरकार द्वारा खर्चे में कमी करने के बारे में जो फैसले किये गये हैं, उसकी जानकारी देना चाहूंगा। गैर-योजना व्यय के बजट में से एक छोटे से हिस्से में ही कटौती किया जाना सम्भव हुआ है। पूंजीगत व्यय और ऋण वगैरह करीब-करीब पूरे ही योजना के खर्च में शामिल हैं। राजस्व खाते में होने वाले गैर योजना व्यय में कुछ ऐसे जरूरी खर्चे होते हैं जिनमें कटौती करना सम्भव नहीं होता। जैसे ब्याज का भुगतान और संस्थाओं पर खर्च और अनुदान। राजस्व खाते में होने वाले कुल खर्च में से केवल 30 करोड़ की धनराशि ही ऐसी है जिसमें मितव्ययता की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बजट में गैर योजना व्यय में लगभग 97 लाख की मितव्ययता पहिले से ही शामिल कर ली गई थी। इसके अलावा गैर-योजना व्यय में 1 करोड़ 35 लाख की बचत करने का फैसला किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 करोड़ 32 लाख की बचत होगी जो करीब 30 करोड़ की 7.7 प्रतिशत होगी। खर्च में बचत के यह अनुमान इस साल के बाकी महीनों के हैं और इस कम खर्ची का असर अगले वर्ष अधिक होगा। इसके अलावा, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, योजना के खर्चे में 1 करोड़ 10 लाख की कम खर्ची की जायेगी और इस रकम को दूसरे कामों में लगाया गया है। मितव्ययता सम्बन्धी निर्णयों की वजह से विभिन्न मदों में होने वाले कुछ कम खर्च का पूरा ब्योरा बजट के दूसरे खण्ड में दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का मैं यहां हवाला देना चाहता हूं।

(i) भविष्य में पंचायत समितियों के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों को खास महत्व दिया जायेगा और कृषि प्रधान पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी का काम करेंगे और पशुपालन प्रधान पंचायत समितियों में पशुपालन प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी का कार्य करेंगे। इस प्रकार इस समय 232 विकास अधिकारियों के पद, जिनमें से अधिकांश जगहों पर आर. ए. एस. के अधिकारी लगे हुए हैं, खत्म कर दिये जायेंगे। इसी तरह पंचायत समितियों में जो 232 प्रगति सहायकों के पद हैं, उन्हें भी खत्म किया जा रहा है और ग्राम सेवकों के पदों में 20 प्रतिशत कमी की जा रही है।

(श्री मथुरादास माथुर)

(ii) बोर्डर कमिश्नर का पद और उसके मातहत कार्यालय को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जागीर कमिश्नर का पद भी खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार एक सुपरटाइम स्केल के आई. ए. एस. और एक उच्च आई. ए. एस. के पदों में कमी की गई है।

(iii) सिंचाई विभाग में एक चीफ इन्जीनियर का पद, एक सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर का पद, 5 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियरों के पद मय इन सबके अमलों के कम कर दिये जायेंगे।

(iv) राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर किये जाने वाले खर्चे के लिए प्रावधान में कमी होने के कारण अतिरिक्त चीफ इन्जीनियर, 3 सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, 6 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और 3 लेखाधिकारी के पद मय उनके अमले के खत्म कर दिये जायेंगे।

(v) उद्योग विभाग का नये सिरे से पुनर्गठन किया जायेगा जिससे ज्वाइन्ट डाइरेक्टर के दो पद, डिप्टी डाइरेक्टरों के तीन पद और दूसरे कई पद कम कर दिये जायेंगे।

(vi) देवस्थान विभाग में क्षेत्रीय सहायक कमिश्नरों के कार्यालय कम कर दिये जायेंगे।

(vii) आबकारी विभाग के अमले को कम किया जायेगा। विभाग के 3 क्षेत्रीय डिप्टी कमिश्नर के पद खत्म कर दिये जायेंगे। मौजूदा 14 जिला अधिकारियों के स्थान पर केवल 10 अधिकारी रखे जायेंगे जिनका मुख्यावास से सीधा सम्बन्ध रहेगा। फिलहाल प्रीवेन्टिव फोर्स को आधा कर दिया जायेगा।

वेतन आयोग

53. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख था कि सरकार ने एक पे-कमीशन नियुक्त करने का निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री जवानसिंह रानावत को एक सदस्यीय पे-कमीशन का सदस्य नियुक्त किया जा रहा है।

नवीन कर प्रस्ताव

54. मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि विकास की प्रगति बनाये रखने के लिये 40 करोड़ 50 लाख रुपये की वार्षिक योजना कम से कम है और इस पर अमल करने के लिये राज्य सरकार को 1 करोड़ 50 लाख रुपये की धन राशि अपने साधनों से जुटानी है। मेरे सामने दो ही रास्ते थे—या तो कुछ आवश्यक कार्यों में कटौती करके योजना सीमा को घटाऊं या कुछ नये कर लगाऊं। दोनों ही रास्ते समान रूप में अप्रिय थे किन्तु राज्य के संतुलित विकास के लिये मैंने दूसरा रास्ता अपनाने का निश्चय किया है। मेरी राय में कल के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिये आज हमें कुछ त्याग करना समझदारी की बात होगी।

55. योजना के लिये इस 1 करोड़ 50 लाख की रकम मुहैया करने और साधनों में 92 लाख की कमी को पूरा करने के लिए, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, मैं नये टेक्सों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं:—

(श्री मथुरादास माथुर)

(लाख रुपयों में)

(1) देशी शराब पर आबकारी कर बढ़ाया जावेगा। 60.00

(2) आबकारी (Excise) अनुज्ञा शुल्क में बढ़ोतरी की जावेगी और आबकारी से आमदनी बढ़ाने के कुछ अन्य कदम भी लिये जावेंगे। 40.00

(3) वस्तुऐं जिन पर बिक्री कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जावेंगी:—

(क) बीयर (Beer) के अलावा विदेशी तथा भारत में बनी विदेशी शराब, मोटर गाड़ियों जिसमें उनके चेसिस (Chassis) व बाडियां (Bodies) भी शामिल हैं किन्तु अतिरिक्त पुर्जे (Spare parts) शामिल नहीं हैं,
रेफ्रीजरेटर्स (Refrigerators) व वायु नियन्त्रक व शीतदायक यन्त्र (Air-Conditioning and other cooling plants)

(ख) वस्तुऐं जिन पर बिक्री-कर की दर 10 प्रतिशत से बढा कर 12 प्रतिशत की जावेगी।
बीयर (Beer) ;
सेफ्टी रेजर की पत्तियों के अलावा स्टेनलेस स्टील (Stainless steel) की वस्तुएं;
पाइल कारपेट (Pile carpet); धातु का फर्नीचर (Metal Furniture) अस्त्र-शस्त्र व गोलियां (Weapons, Arms and ammunition); ध्वनि विस्तारक यन्त्र (Sound transmitting equipment) जिसमें टेलीफोन व लाउड स्पीकर भी सम्मिलित हैं;
डिक्टाफोन व अन्य समान ध्वनि लेखन यन्त्र;
सिगरेट केस व लाइटर्स (Lighters);
लोहे और इस्पात से बनी तिजोरियां व अलमारियां;
तस्वीर उतारने के व अन्य कैमरे:
चल चित्र के यन्त्र (Cinematographic equipment);
बेतार संवाद ग्राहक यन्त्र (Wireless receiving instruments) रेडियो आदि;
मोटर साईकिलें, स्कूटर, टेम्पो किस्म की तिपहिया गाड़ियां, टायर, ट्यूब, अतिरिक्त पुर्जे व सामान;
ट्रैक्टरों के टायर ट्यूब, अतिरिक्त पुर्जे व सामान को छोड़ कर मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूब, अतिरिक्त पुर्जे व सामान।

(ग) वस्तुएं जिन पर बिक्री-कर की दर 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत की जावेगी:
सीमेंट, सीमेंट से बने सामान;
सूखे मेवे।

(घ) आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर) पर बिक्री कर की दर 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की जा रही है।

इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप 50 लाख रुपये की प्राप्ति होगी। 50.00

(4) मेलों में जानवरों की आखिरी खरीद पर 5 प्रतिशत बिक्री-कर लगेगा:

(श्री मथुरादास माथुर)

(अ) सांड, बैल, बछड़े, (Bull Calves), खच्चर;

(ब) भैंस भेड़-बकरियां, ऊंट, गधे, घोड़े, सूअर नर व मादा बच्चों सहित:

राजस्थान के देहाती इलाकों में पशु-पालन एक मुख्य व्यवसाय रहा है जिस पर इस समय एक नाम-मात्र का कर-भार है, वे भी राजस्थान के बाहर भेजे जाने वाले मवेशियों की बिक्री पर।

यह कर इसलिये लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार पशुओं की नसल सुधारने, बीमारियों की रोकथाम करने व सूखे के दिनों में चारा-दाना जुटाने पर बहुत अधिक व्यय कर रही है।

इससे 20 लाख रुपये की आय अनुमानित है। 20.00

(5) मनोरंजन कर में 50 पैसा प्रवेश दर तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे ऊपर की प्रवेश दरों में इस प्रकार वृद्धि की जावेगी:

(1) 50 पैसे से अधिक और एक रु. तक 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत,

(2) एक रु. से अधिक और दो रु. तक 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत.

(3) दो रु. से ऊपर 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 70 प्रतिशत।

इन वृद्धियों से 15 लाख का अनुमान है। 15.00

(6) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में लघु, मध्यम व बड़े सिंचाई कार्यों पर भारी नियोजन किया गया है। सिंचाई से प्राप्त आय इन कार्यों के संधारण (Maintenance) एवं ब्याज के चुकारे के लिये भी पर्याप्त नहीं है। साज सामान की कीमतें व मजदूरी की ऊंची दरों के कारण संधारण (Maintenance) व्यय बढ़ गया है। राज्य की अन्य प्राप्तियों से ब्याज का चुकारा किया जा रहा है। व्यापारिक हिसाब से देखा जावे तो प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ 50 लाख का घाटा आता है। आबपाशी से व्यक्तियों को अधिक पैदावार के रूप में लाभ पहुंचा है और अभी हाल के वर्षों में पैदावार की कीमतें भी काफी हद तक बढ़ गई हैं। यह उचित नहीं लगता है कि राज्य के कुछ लोग तो सिंचाई सुविधाओं और पैदावार में वृद्धि से लाभान्वित हों और अन्य लोग सिंचाई योजनाओं के घाटे को कर देकर पूरा करें। अतः तमाम सिंचाई दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जानेका प्रस्ताव है। इससे चालू वर्ष में 25 लाख रुपये की प्राप्ति की आशा है। 25.00

(7) भूमि संबंधी बदले हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए कृषि आय पर आमदनी के मुताबिक लेवी बढ़ाने का ठोस आधार मौजूद है। यह एक तरफ सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ठीक है और दूसरी तरफ बड़े किसानों और भूमि के मालिकों को राज्य की योजना के लिये साधन जुटाने में योग देने का महत्वपूर्ण मौका है। कृषि आय पर सीधा कर लगाने से कर दाताओं को असुविधायें हो सकती हैं और इसके अतिरिक्त कर वसूली पर

(श्री मथुरादास माथुर)

भी विशेष खर्चा होगा । 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक खातेदारियों पर भू-राजस्व पर अधिभार (Surcharge) लगाया जाना न्यायोचित होगा और वसूली के लिये भी अधिक सुविधाजनक होगा । इस समय राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कुछ दरों से भू-राजस्व (Land Revenue) पर अधिभार (Surcharge) लागू है, उसमें तरमीम करनी पड़ेगी । राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 30 (ग) में वर्णित 30 स्टेण्डर्ड एकड़ या इससे अधिक की खातेदारियों पर अधिभार (Surcharge) की दर में वृद्धि किये जाने के दृष्टिकोण से इन खातेदारियों पर भू-राजस्व के बराबर अधिभार (Surcharge) की दरों को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । 10 एकड़ तक की खातेदारियों पर मौजूदा छूट बदस्तूर जारी रहेगी । इससे चालू वर्ष में 40 लाख की आमदनी होगी ।

40.00

इन सब करों से 2 करोड़ 50 लाख की आय होगी जिससे 8 लाख का ओवर-आल सरप्लस (Over all surplus) रहेगा ।

56. राज्यपाल के भाषण में सरकार की इस मंशा का उल्लेख किया गया था कि खासतौर पर छोटे व्यापारियों की असुविधाओं को कम करने की दृष्टि से सेल्स-टैक्स निर्धारित करने की कार्यप्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी । कार्य-प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन लाने और निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिये कानूनी आवरण प्राप्त करने की हमारी मंशा है:—

(क) छोटे व्यापारियों से एक मुश्त करनिर्धारण (Lumpsum Composition) की सहूलियत दी जायेगी ।

(ख) पैकिंग के सामान पर, अन्दर बन्द किये गये माल पर लगाई जाने वाली दर से ही कर की वसूली होगी ।

(ग) छोटे व्यापारियों से एक वर्ष के बजाय दो वर्ष का बिक्रीकर निर्धारण एक साथ किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है ।

(घ) किन्हीं परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Best Judgement assessment) को रद्द करके नए सिरे से कर-निर्धारण का प्रावधान किया जा रहा है ।

(ङ) आयात-कर्ता, माल उत्पादन करने वाले और अन्य विशेष श्रेणी के व्यापारियों के अलावा, अन्य व्यापारियों की टैक्स देयता निर्धारित करने के लिये मौजूदा टर्न-ओवर की न्यूनतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 की जा रही है ।

(च) व्यापारियों को विशेष सुविधा के लिए क्षेत्रीय उप-आयुक्त (प्रशासन) को वसूली रोकने की प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिये अधिकार दिया जा रहा है ।

(छ) छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार व कर के विवरण तिमाही के स्थान पर वर्ष में एक बार प्रस्तुत करने की सुविधा दी जा रही है ।

57. यह भी पुरजोर मांग आई है कि राजस्व मण्डल की सर्किट बेंच बिक्री-कर

(श्री मथुरादास माथुर)

अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्विचार के मामले की सुनवाई के हेतु समय-समय पर जयपुर व जोधपुर में अपनी बैठकें रखें। इस पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात इस मांग को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यापारिक कर विभाग के इन्सपेक्टर (Inspectors) भविष्य में व्यापारियों के बही-खाते अपनी मर्जी से अपने कब्जे में नहीं ले सकेंगे।

58. व्यापारियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ और छूटें दी जा रही हैं। होजरी की वस्तुओं के अलावा सिले सिलाए वस्त्रों पर छूट की सीमा 4 रु. प्रति वस्त्र से बढ़ा कर 6 रु. प्रति वस्त्र की जा रही है। उसी प्रकार बन्धेज की ओढ़नियों पर छूट की सीमा 10 रु. प्रति ओढ़नी से बढ़ा कर 15 रु. प्रति ओढ़नी की जा रही है।

59. बजट के प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान के चहुंमुखी विकास का लक्ष्य ही मेरे दिमाग में सर्वोपरि रहा है। इस दृष्टि से विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने की जरूरत पड़ी है। नये साधन जुटाने के प्रस्तावों को मैं मानता हूँ कि सारे समाज पर भार पड़ेगा। परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें भी मैंने इस बात का प्रयास किया है कि मेरे प्रस्तावों का अधिकतर भार समाज के उन तबकों पर पड़े जो या तो काफी सम्पन्न हैं, या जिन्होंने विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप विकसित अर्थ-व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। मैंने इस तरफ खास सावधानी बरती है कि समाज के गरीब तबके के लोगों पर करों का कम से कम भार पड़े।

60. इसके साथ मैंने इस बात की भी कोशिश की है कि अतिरिक्त साधन जुटाने से प्राप्त धनराशि को ऐसे विकास कार्यों में लगाया जाय जिनसे हमारे समाज के निचले तबके के लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। मैं यह मानता हूँ कि राज्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्न किये जाने चाहिए और इस पृष्ठभूमि में साधन जुटाने के जो प्रस्ताव मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं, वे काफी नहीं माने जा सकते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि टैक्स के प्रस्ताव तैयार करते समय, जनता की आर्थिक स्थिति में आयी गिरावट की तस्वीर भी मेरे सामने रही है। इस बार अगर मानसून अच्छा रहा, जैसा कि हमें आशा रखनी चाहिए तो मैं आपके सामने दुबारा ऐसे प्रस्ताव लेकर आऊंगा जिनसे राज्य के विकास की प्रक्रिया को ज्यादा गतिशील बनाया जा सकेगा।

61. योजनाबद्ध विकास का मूल उद्देश्य दीर्घकालीन अर्थ व्यवस्था की वृद्धि के लिए दृढ़ आधार तैयार करना है, जिससे लाभकारी नियोजन के अधिकाधिक अवसर मिलते रहें और परिणामस्वरूप लोगों को काम करने और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की सुविधाएं मिलती रहें। योजनाबद्ध विकास के जरिए हम जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृत-संकल्प हैं। 1967-68 का वर्ष तो केवल उस लम्बा सफर के रास्ते पर हमारा

(श्री मथुरादास माथुर)
एक आगे कदम है जिस पर आगे बढ़ते हुए, हम जनता को सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे। जनता के जीवन को भरा-पूरा और समृद्ध बनाने के इस प्रयास में आपकी आस्था और सहयोग की मैं सच्चे दिल से कामना करता हूँ।

(12.00 मध्यान्ह)

पुरःस्थापित विधेयक

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापन।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां संशोधन विधेयक, 1967 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां संशोधन विधेयक, 1967 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 12.01 म.प. दिनांक 30 मई, 1967 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 29 मई, 1967)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
4	शीर्षक	आय व्यक	आय व्ययक
5	अंतिम से 5	कुल	कुछ
6	15	जुल ई	जुलाई
6	21	ित्तीय	वित्तीय
8	2	लख	लाख
8	18	माननीम	माननीय
8	अंतिम से 6	ी अवल	की अचल
12	13	कार्य पूग	कार्य पूरा
12	18	संक्षेप मे में	संक्षेप में
13	अंतिम से 2	दौहरान	दौरान
16	अंतिम पंक्ति	सार्वजनिक लेखे म	सार्वजनिक लेखे में
17	अंतिम से 12	मद संख्या	मद संख्या IX
21	18	हो	ही
22	22	वसूज	वसूल
25	10	प्रावमान	प्रावधान
27	अंतिम से 3	और सन	और साथ
30	18	व्ययस्था	व्यवस्था
36	14	संथादें	संवाद
43	11	करारोपण विधियां संशोधन	करारोपण विधियां (संशोधन)

———